न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
145 / 2025	12.03.2025	05.06.2025

1. भंवर पुत्र श्री गोपी जाट निवासी–चत्रभुजपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
2. सुरेश पुत्र श्री बालू जाट निवासी–चत्रभुजपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. नगजी पुत्र श्री दीपा जी गुर्जर निवासी–चत्रभुजपुरा (खाखरिया खेडा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
2. उदयराम पुत्र श्री देवा जी जाट निवासी–चत्रभुजपुरा (खाखरिया खेडा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
3. रामलाल पुत्र श्री देवा जी जाट निवासी–चत्रभुजपुरा (खाखरिया खेडा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
4. छगनलाल पुत्र श्री देवा जाट निवासी–चत्रभुजपुरा (खाखरिया खेडा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
5. नारायण पुत्र श्री देवा जी जाट निवासी–चत्रभुजपुरा (खाखरिया खेडा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
6. प्यारी पत्नि श्री देवा जी जाट निवासी–चत्रभुजपुरा (खाखरिया खेडा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
7. बदाम पुत्री श्री देवा जी जाट निवासी–चत्रभुजपुरा (खाखरिया खेडा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
8. कैलाश पुत्र श्री मोहन जी गुर्जर निवासी–गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
9. गणी पत्नि श्री मोहन जी गुर्जर निवासी–गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
10. चंदा पुत्री श्री मोहन जी गुर्जर निवासी–गुंदली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. रतनी देवी पत्नी श्री उदा जी गुर्जर निवासी–गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
12. लोकेश पुत्र श्री मोहन जी गुर्जर निवासी–गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)।
13. गंगा पत्नि श्री दीपा जी गुर्जर निवासी–चत्रभुजपुरा (खाखरिया खेडा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
14. भोजा पुत्र श्री दीपा जी गुर्जर निवासी–चत्रभुजपुरा (खाखरिया खेडा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
15. सुगना पुत्री श्री नंदा जी गुर्जर निवासी–चत्रभुजपुरा (खाखरिया खेड़ा) तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राज.)
16. सुरेश पुत्र श्री नन्दाजी गुर्जर निवासी चत्रभुजपुरा (खाखरिया खेड़ा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

17. सोहन पुत्र श्री दीपा जी गुर्जर निवासी चत्रभुजपुरा (खाखरिया खेड़ा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज)
18. हीरा पुत्र श्री दीपा जी गुर्जर निवासी चत्रभुजपुरा (खाखरिया खेड़ा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज)
19. रतनी पुत्री श्री लालू जी गुर्जर गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
20. शम्भूलाल पुत्र श्री लालू गुर्जर गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
21. उदी पुत्री श्री गोपी जी जाट निवासी चत्रभुजपुरा (खाखरिया खेड़ा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज)
22. गीता पत्नि श्री शंकर जी जाट निवासी चत्रभूजपुरा (खाखरिया खेडा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
23. दिनेश पुत्र श्री बालू जी जाट नाबालिग जरिये संरक्षक माता भोली पत्नि बालु जी जाट निवासी चत्रभुजपुरा (खाखरिया खेड़ा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज)
24. नानीदेवी पत्नि श्री स्व. जगनाथ जी जाट निवासी– चत्रभूजपुरा (खाखरिया खेडा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज)
25. नारायण पुत्र श्री बालू जी जाट निवासी–चत्रभूजपुरा (खाखरिया खेडा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज)
26. भोली पत्नि श्री स्व. बालु जी जाट निवासी–चत्रभूजपुरा (खाखरिया खेडा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
27. मोहन पुत्र श्री बालु जी जाट निवासी–चत्रभूजपुरा (खाखरिया खेडा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
28. लादी पुत्री श्री बालु जी जाट निवासी–चत्रभूजपुरा (खाखरिया खेडा) तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्री रामेश्वर लाल जाट उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 28 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुंदली पटवार क्षैत्र गुन्दली भू.अभि.नि.क्षै पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा मे दर्ज है प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकारो की कृषि भूमि आराजी संख्या 838 रकबा 0.5943 हेक्टेयर एवं ग्राम बासडा पटवार क्षैत्र गुन्दली भू.अभि.नि.क्षै. पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा आराजी संख्या 01 रकबा 0.3151 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 1/1 रकबा 0.0126 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3277 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 28 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इंन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम गुंदली पटवार क्षैत्र गुन्दली भू.अभि.नि.क्षै पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा आराजी संख्या 838 रकबा 0.5943 हेक्टेयर एवं ग्राम बासडा पटवार क्षैत्र गुन्दली भू.अभि.नि.क्षै. पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा आराजी संख्या 01 रकबा 0.3151 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 1/1 रकबा 0.0126 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3277 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000—00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05-06-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज् सिंह चुण्डावत)

[redacted] अधिकारी

भीलवाडा भीलवाडा